पत्रांक– 06/वि० 09–31/2016..........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : ..../2017

"अनौपचारिक रूप से परामर्शित"

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत कुल राशि ₹6,08,85,35,400/– (छः अरब आठ करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार चार सौ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।**

द्वारा:– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**

आदेश :– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 दिनांक 03.01.2008 के कंडिका –7 के आलोक में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत कुल राशि ₹6,08,85,35,400/– (छः अरब आठ करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार चार सौ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान किया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में कक्षा 1 एवं 2 के APL छात्रों को 400 रूपये प्रति छात्र की दर से, कक्षा 3, 4 एवं 5 के सभी छात्र/छात्राओं को 500 रूपये प्रति छात्र/छात्रा की दर से, कक्षा 6, 7 एवं 8 के सामान्य/APL छात्रों तथा सभी छात्राओं को 700 रूपये प्रति छात्र/छात्रा की दर से एवं कक्षा 6 से 8 के SC/ST/BPL छात्रों को टॉप अप राशि 300 रूपये प्रति छात्र की दर से पोशाक योजना की राशि दिया जाना प्रावधानित है।

3. जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित एवं न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर कुल 11670769 छात्र/छात्राओं को पोशाक की राशि उपलब्ध करायी जानी है, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नांकित है:–

कक्षा	दर प्रति छात्र/छात्रा	राशि (रूपये में)	अभ्युक्ति
कक्षा 1 एवं 2 के APL छात्रों के लिए	₹400	21,61,08,000	
3, 4 एवं 5 सभी छात्र/छात्रा	₹500	3,06,39,72,000	
6, 7 एवं 8 सामान्य/APL छात्रों तथा सभी छात्राओं	₹700	2,28,84,55,400	
6, 7 एवं 8 SC/ST/BPL छात्रों का टॉप अप	Top-Up ₹300	52,00,00,000	
	Total	**6,08,85,35,400**	

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु ₹6,60,00,80,000/– (छः अरब साठ करोड़ अस्सी हजार रूपये) मात्र का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है। प्रस्तावित व्यय की जाने वाली राशि ₹6,08,85,35,400/– (छः अरब आठ करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार चार सौ रूपये) के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियाँ तथा प्रोत्साहन, मांग संख्या–21, उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजिफा, विपत्र कोड–P2202011090101 राज्य योजना स्कीम कोड HRD–5390 में उपबंधित राशि ₹3,28,00,80,000/–(तीन अरब अठाईस करोड़ अस्सी हजार रूपये) मात्र से, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–21, उप शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड–P2202017890102 राज्य योजना स्कीम कोड HRD–5390 में उपबंधित राशि ₹52,00,00,000/– (बावन करोड़ रूपये) मात्र से एवं बजट मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियॉ तथा प्रोत्साहन, मांग संख्या–21, उप शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, विपत्र कोड– P2202011090102, राज्य योजना स्कीम कोड HRD–5391, विषय शीर्ष–34 01–छात्रवृत्ति/वजीफा के अंतर्गत उपबंधित राशि ₹2,80,00,00,000/– (दो अरब अस्सी करोड़ रूपये) मात्र से होगा ।

5. (I) स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी तथा राशि का आवंटन संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा मांग के अनुसार राशि उपावंटित करेंगे। इस क्रम में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन देने से पूर्व सुनिश्चित हो लेंगे कि सभी प्रधानाध्यापकों से 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की हस्ताक्षरित सूची उनके कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) सम्यक् जॉचोपरांत संबंधित जिले के कोटिवार छात्र एवं छात्राओं जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है, के संख्या के आधार पर ही राशि उपावंटित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता एवं विचलन के लिए सारी जिम्मेवारी संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) पर निर्धारित की जाएगी।

(II) राजकीय विद्यालयों के संदर्भ में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि उपावंटित की जाएगी एवं संबंधित कोषागार से BTC–43 फॉर्म पर राशि की निकासी की जाएगी। सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में लाभुकों के लिए राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से BTC–43 के माध्यम से किया जाएगा साथ ही 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले लाभुकों की सत्यापित सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(III) राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रखण्डवार उपावंटन संबंधित प्रखण्डों के लिए चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किया जाएगा। उनके द्वारा संबंधित कोषागार से BTC–43 पर क्षेत्राधीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा सत्यापित कराकर उपलब्ध कराई गई लाभुको की सूची संलग्न करते हुए की राशि की निकासी की जायेगी। सूची वैसे विद्यार्थी की होनी चाहिए जो नामांकित हों एवं जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसकी जवाबदेही संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की होगी। चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रखंड स्तर पर) द्वारा राशि की निकासी हेतु तैयार किये जाने वाले विपत्र पर यह प्रमाणित किया जायेगा कि लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है एवं उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति के बैंक खाते में ही एकमुश्त राशि बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति से लाभुक के बैंक खाते में राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से ही भेजा जायेगा और राशि के अंतरण के पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य सचिव अंतरण हेतु तैयार किये जाने वाले सूची पर यह प्रमाण पत्र देंगे की लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित है और उनकी उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत है। उक्त सूची में छात्र/छात्राओं के नाम, उनके माता/पिता के नाम एवं पता, कक्षा, क्रमांक, योजना का नाम, उपस्थिति का प्रतिशत (न्यूनतम 75 प्रतिशत), पोशाक राशि की दर बैंक खाता संख्या अथवा उनके माता/पिता का बैंक खाता संख्या, IFSC Code एवं कुल राशि की विवरण सूची संलग्न की जायेगी।

(IV) पोशाक की राशि लाभुक छात्र/छात्राओं अथवा उनके माता–पिता के बैंक खाते में अंतरित की जानी है। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि का वितरण नहीं किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लाभुकों की सूची बैंक खाता संख्या के साथ संबंधित बैंक को उपलब्ध करायेंगे ताकि बैंक लाभुक छात्र/छात्राओं के उक्त सूची के अनुरूप एक साथ RTGS/NEFT के माध्यम से पोशाक राशि अंतरित करेंगें।

(V) पोशाक राशि के वितरण के पश्चात् यदि यह ज्ञात होता है कि लाभुक संबंधित विद्यालय में नामांकित नहीं है या लाभुक नामांकित है परंतु उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे तथा उनसे राशि वसूली एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(VI) राशि का आवंटन/निकासी के दो माह के अन्दर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

(VII) अवितरित राशि, यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष में अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जायगा।

(VIII) स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना) द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् जमा कराया जायेगा।

(IX) योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा किया जाएगा।

6. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमादेन प्राप्त है।

7. इस मद की राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 06/वि० 09–31/2016 के पृ०21/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(भरत राम)
सरकार के उप सचिव।ह०/–

ज्ञापांक– 06/वि० 09–31/2016........................ पटना, दिनांक–........................../2017

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग, व्यय शाखा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग दो प्रति/ सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग/I.T. Manager, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 06/वि० 09–31/2016.......67....... पटना, दिनांक–....30/1......../2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/ A.C/D.C कोषांग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/01/17
सरकार के उप सचिव।

कक्षा 1 से 2 तक APL छात्रों (प्रति छात्र रू० 400/- की दर से) को जिलावार आवंटित राशि विपत्र कोड P2202011090101

क्रम संख्या	जिला	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)	तत्काल आवंटित राशि (रूपये में)
1	अररिया	1330000	931200
2	अरवल	1028400	720000
3	औरंगाबाद	7926000	5548000
4	बांका	4398400	3078800
5	बेगूसराय	6257600	4380400
6	भागलपुर	2118400	1482800
7	भोजपुर	4212000	2948400
8	बक्सर	2120400	1484400
9	दरभंगा	2795600	1956800
10	गया	9084400	6359200
11	गोपालगंज	2540000	1778000
12	जमुई	5423200	3796400
13	जहानाबाद	1369600	958800
14	कैमूर	1644800	1151200
15	कटिहार	8045200	5631600
16	खगड़िया	1967200	1377200
17	किशनगंज	845600	592000
18	लखीसराय	2658400	1860800
19	मधेपुरा	1220000	854000
20	मधुबनी	928400	650000
21	मुंगेर	699600	489600
22	मुजफ्फरपुर	4623200	3236400
23	नालंदा	9000400	6300400
24	नवादा	3397600	2378400
25	पश्चिमी चम्पारण	3518800	2463200
26	पटना	11735600	8214800
27	पूर्वी चम्पारण	76681200	53676800
28	पूर्णिया	4270400	2989200
29	रोहतास	6015200	4210400
30	सहरसा	2366000	1656000
31	समस्तीपुर	1750400	1225200
32	सारण	4663200	3264000
33	शेखपुरा	1738800	1217200
34	शिवहर	866400	606400
35	सीतामढ़ी	1486800	1040800
36	सिवान	9271200	6490000
37	सुपौल	2505600	1754000
38	वैशाली	3604000	2522800
	कुल	216108000	151275600

(पन्द्रह करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार छः सौ रूपये मात्र)

(भरत राम)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 3 से 5 तक सभी छात्र/छात्राओं (प्रति छात्र/छात्रा को रू० 500 की दर से) को जिलावार आवंटित राशि विपत्र कोड P2202011090101

क्रम संख्या	जिला	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)	तत्काल आवंटित राशि (रूपये में)
1	अररिया	77657000	54360000
2	अरवल	17104000	11973000
3	औरंगाबाद	72006000	50404000
4	बांका	61837000	43286000
5	बेगूसराय	88009500	61606500
6	भागलपुर	86733500	60713500
7	भोजपुर	88950000	62265000
8	बक्सर	42296500	29607500
9	दरभंगा	102204000	71543000
10	गया	138276000	96793000
11	गोपालगंज	76521000	53564500
12	जमुई	65699500	45989500
13	जहानाबाद	24799000	17359500
14	कैमूर	36044500	25231000
15	कटिहार	79815500	55871000
16	खगड़िया	50817500	35572500
17	किशनगंज	56410500	39487500
18	लखीसराय	34188000	23931500
19	मधेपुरा	66684000	46679000
20	मधुबनी	141086500	98760500
21	मुंगेर	37806500	26464500
22	मुजफ्फरपुर	165636000	115945000
23	नालंदा	64408500	45086000
24	नवादा	88417500	61892500
25	पश्चिमी चम्पारण	128874000	90212000
26	पटना	115601500	80921000
27	पूर्वी चम्पारण	153087500	107161000
28	पूर्णिया	88247500	61773000
29	रोहतास	96227500	67359000
30	सहरसा	72648000	50853500
31	समस्तीपुर	88441000	61908500
32	सारण	123362000	86353500
33	शेखपुरा	15608500	10926000
34	शिवहर	26145000	18301500
35	सीतामढ़ी	144860500	101402500
36	सिवान	76329000	53430500
37	सुपौल	87362000	61153500
38	वैशाली	83770000	58639000
	कुल	**3063972000**	**2144780500**

(दो अरब चौदह करोड़ सैंतालीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

(भरत राम)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 6 से 8 के सामान्य / APLछात्र / सभी छात्राओं (प्रति छात्र–छात्रा रू० 700 / –की दर से) को जिलावार आवंटित राशि विपत्र कोड P2202011090102

क्रम संख्या	जिला	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)	तत्काल आवंटित राशि (रूपये में)
1	अररिया	34932800	24453100
2	अरवल	14060900	9842700
3	औरंगाबाद	61439700	43008000
4	बांका	51884000	36318800
5	बेगूसराय	75453000	52817100
6	भागलपुर	60987500	42691600
7	भोजपुर	71104600	49773500
8	बक्सर	39328100	27529600
9	दरभंगा	70063700	49044800
10	गया	111882400	78317400
11	गोपालगंज	62707400	43895600
12	जमुई	42525000	29767500
13	जहानाबाद	19698000	13788600
14	कैमूर	29411900	20588400
15	कटिहार	53489100	37442300
16	खगड़िया	33602800	23522100
17	किशनगंज	34811700	24368400
18	लखीसराय	29282400	20497400
19	मधेपुरा	42320600	29624700
20	मधुबनी	103496400	72447200
21	मुंगेर	28700700	20090000
22	मुजफ्फरपुर	121645300	85151500
23	नालंदा	49196000	34437200
24	नवादा	66508400	46555600
25	पश्चिमी चम्पारण	64738100	45316600
26	पटना	98298200	68808600
27	पूर्वी चम्पारण	92818600	64972600
28	पूर्णिया	50131200	35091700
29	रोहतास	76093500	53265800
30	सहरसा	45127600	31589600
31	समस्तीपुर	64040200	44828000
32	सारण	108032400	75622400
33	शेखपुरा	13862800	9704100
34	शिवहर	17758300	12430600
35	सीतामढ़ी	92813700	64969800
36	सिवान	83479900	58436000
37	सुपौल	58551500	40986400
38	वैशाली	67631200	47341700
	कुल	**2241909600**	**1569337000**

(एक अरब छप्पन करोड़ तिरानबे लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र)

(भरत राम)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

कक्षा 6 से 8 के SC/ST/BPL छात्रों (प्रति छात्र रू० 300/-- की दर से)को जिलावार आवंटित TOP UP राशि
विपत्र कोड P2202017890102

क्रम संख्या	जिला	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)	तत्काल आवंटित राशि (रूपये में)
1	अररिया	7826400	5478600
2	अरवल	2114700	1480200
3	औरंगाबाद	13229400	9260700
4	बांका	9207300	6445200
5	बेगूसराय	13917900	9742500
6	भागलपुर	14115300	9880800
7	भोजपुर	15561600	10893000
8	बक्सर	7021800	4915200
9	दरभंगा	17449500	12214800
10	गया	19106400	13374600
11	गोपालगंज	12074100	8451900
12	जमुई	10005300	7003800
13	जहानाबाद	3413100	2389200
14	कैमूर	5827500	4079400
15	कटिहार	9995100	6996600
16	खगड़िया	8538300	5976900
17	किशनगंज	7073400	4951500
18	लखीसराय	4149600	2904600
19	मधेपुरा	12171300	8520000
20	मधुबनी	28846200	20192400
21	मुंगेर	6956100	4869300
22	मुजफ्फरपुर	28880400	20216400
23	नालंदा	9913500	6939600
24	नवादा	12270300	8589300
25	पश्चिमी चम्पारण	42051900	29436300
26	पटना	16274400	11390100
27	पूर्वी चम्पारण	24713400	17299500
28	पूर्णिया	10066200	7046400
29	रोहतास	27549300	19284600
30	सहरसा	10166700	7116600
31	समस्तीपुर	11979300	8385600
32	सारण	20269200	14188500
33	शेखपुरा	1426300	998400
34	शिवहर	3483000	2438100
35	सीतामढ़ी	26085300	18259800
36	सिवान	12289800	8602800
37	सुपौल	16991400	11894100
38	वैशाली	16989300	11892600
	कुल	**520000000**	**363999900**

(छतीस करोड़ उनचालीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ रूपये मात्र)

(भरत राम)
उप सचिव, शिक्षा विभाग